ऑन लाईन नं. RCMS 2022/175

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 23/2022

1. सन्दीप बंसल पुत्र श्री मोहनलाल जाति अग्रवाल निवासी 59 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर। —अपीलांट

बनाम

1. सुभाष बंसल पुत्र श्री मोहन लाल जाति अग्रवाल निवासी बी0सी0—21 ग्राउण्ड फलोर मियावाली नगर पश्चिम विहार नई दिल्ली।
2. राजेन्द्र बंसल पुत्र श्री मोहनलाल जाति अग्रवाल निवासी 59 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
3. रेणु तायल पुत्री श्री मोहन लाल पत्नी अशोक कुमार जाति अग्रवाल निवासी जी/61 नारायण विहार नई दिल्ली।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर । — रेस्पोडेंटान

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार
लालगढजाटान संख्या 639 दिनांक 26.04.2022

उपस्थित :

1. श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री तेजा सिंह अधिवक्ता , रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 अनुपस्थित

:: आदेश :: दिनांक :—19.03.2025

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि :—

1. यह है कि अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के एकपक्षीय रूप से बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया है। नकल प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलाधीन संलग्न अपील है।
2. यह है कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट के पिता मोहनलाल पुत्र हरिराम के नाम से वाके चक 20 एसडीएस तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 11—12—19—20 तथा मुरब्बा नम्बर 50—57 की 0.12 कुल 3.18 बीघा कृषि भूमि क्रयशुदा थी चूंकि पिता मोहनलाल अपीलार्थी के साथ जीवनपर्यन्त निवास करता था इसलिये सेवाभाव से प्रश्नचित होकर एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 19.08.2004 को निष्पादित करवाया था। चूंकि वसीयताधीन भूमि के अलावा अपीलार्थी की कृषि भूमि का राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष विभाजन एवं घोषणात्मक का निर्णित किया गया जिसके अनुसार अपीलार्थी के पिता मोहनलाल के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 7,8,13,18,23,19,22 व 23 की 7.01 बीघा कृषि भूमि प्राप्त हुई। शेष स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि 5.06 बीघा

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

9. यह है कि अपील श्रीमान जी के सुनवाई योग्य, क्षेत्राधिकार एवं उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश इन्तकाल संख्या 639 दिनांक 26.04.2022 को निरस्त फरमाया जाकर वसीयतनुसार अंकन का निर्देश दिया जावे तो जनाब की मेहरबानी होगी।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से लिखित बहस निम्न लिखित पेश हैं।

1. यह कि अपीलांट द्वारा इंतकाल नम्बर 623 से 641 दिनांक 26–4–2022 के विरूद्ध अपील पेश की है जिसमें मोहन लाल पुत्र हरीराम के नाम से जो भूमि खाता संख्या 65/64 मुरब्बा नम्बर 50 में किला नम्बर 7 ता 9, 10/1 का विरास्तन इंतकाल दर्ज किया गया था। सबसे पहले तो इसमें यह निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश 26–4–2022 का है, अपील एक माह के अन्दर पेश की जानी चाहिये थी। अपील 4–7–2022 को पेश की गयी है जो मियाद बाहर होने के आधार पर काबिले खारिजी है। क्योंकि सन्दीप बंसल सगा भाई है जो मौके पर कहता है कि मैं यहां रहता हूं और जमीन की काश्त भी मैं करता हूं, कब्जा भी मेरा है। इस अवस्था में यह कहना कि मुझे इस आदेश की जानकारी पानी की पर्ची बंधवाने के समय 26–6–2022 को गया तब 28–6–2022 को हल्का पटवारी से जानकारी प्राप्त की। यह कतई संभव नहीं है। इंतकाल सभी पक्षों के औपचारिक दस्तावेज लेकर दर्ज किया गया है। अपील मियाद बाहर होने के कारण काबिले खारिजी है।
2. यह कि अपीलांट का यह कहना कि मोहन लाल के नाम चक 20 एस डी एस मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 11,12,19,20 व मुरख्या नम्बर 50 व 57 की 0.12 है. कुल 3बीघा 18 बिस्वा भूमि खरीदशुदा भूमि थी। इसलिए मोहन लाल ने सेवाभाव से प्रसन्नचित होकर 19–8–2004 को वसीयत कर दी। वसीयत के अलावा प्रार्थी की कृषि भूमि का दावा उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 7,8,13,18,23,19,22 की 7.01 बीघा कृषि भूमि प्राप्त हुई। शेष स्वंय की खातेदारी भूमि में 5.6 बीघा कुल 12 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि अपीलार्थी के कब्जा में है। जिस पर अपीलार्थी का कब्जा चला आ रहा है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के आवेदन–पत्र पर बिना सुने इंतकाल तस्दीक कर दिया। जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी ने 4 बीघा की तो वसीयत करवाली और कुछ भूमि दान–पत्र में अपने नाम करवा ली और जिसका विभाजन की डिक्री का हवाला दिया है, विभाजन की डिक्री मोहन लाल, सन्दीप कुमार द्वारा विजय कुमार,अजय कुमार और निर्मला देवी के बीच निर्णय हुआ है और निर्णय 17–8–2012 में 12 बीघा 7 बिस्वा के बारे में जो बंटवारा हुआ है उसमें वादी सं. 1 मोहन लाल को चक 20 एस डी एस मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 7 ता 10 की 0.987 है, रकबा बंटवारा में आया है और वादी संख्या 2 जो सन्दीप कुमार है उसको मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 10 के पश्चिम दिशा में 0.25 है. कि.नं. 11 ता 13 18 ता 20.21,22 व

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

23 कुल 2.137 है. रकबा आया है। इस प्रकार अपीलार्थी का जो कहना है कि मेरे बंटवारे में मेरे को मिली है जबकि उक्त भूमि मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 7 ता 10 अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट के पिता के हिस्से में आयी थी यही भूमि पिता के मरने के बाद विरास्तन चारों वारिसान को आयी है। इसमें कोई हिस्सा अपीलांट डिग्री के पेटे या कब्जे के आधार पर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील काबिले खारिजी है।

3. यह कि जहां तक अपीलांट का यह कहना है कि तहसीलदार को इंतकाल दर्ज करने का अधिकार नहीं है। यह कतई गलत है। 1982 में ग्राम पंचायत को पावरें दी थी लेकिन तहसीलदार से शक्तियां लेडगेट नहीं की गयी है। तहसीलदार के पास भी इंतकाल दर्ज करने की शक्तियां प्रदत्त है। ग्राम पंचायत को केवल 45 दिन के लिए अपने पास रख सकती है लेकिन तहसीलदार को इंतकाल न करने के लिए बाईफ्रकेट नहीं कर सकती। तहसीलदार द्वारा जो इंतकाल किया गया है वह सही है। इसलिए अपील काबिले खारिजी है।

4. यह कि अपीलांट के पिता मोहन लाल के पास 12 बीघा जमीन थी जिसमें से 4 बीघा किला नम्बर 11,12,19,20 की तो अपीलांट ने वसीयत करवा ली और खाता सं. 51/48 मुरख्या नम्बर 50 व 57 में .380 है. व खाता सं. 50/47 में मुरख्या नम्बर 50 व 57 में .769 है. कुल 1.139 है. का दान–पत्र अपने हक में करवा लिया। इस प्रकार 8 बीघा जमीन इस प्रकार हड़प गया और बाकी 4 बीघा जमीन जो जिसका विरास्तन इंतकाल आया है उसमें रेस्पोडेन्ट को तो एक एक बीघा इंतकाल आया है और अपीलांट 8 बीघा पहले पिता से साजिश करके भूमि प्राप्त कर ली और अब इसी भूमि के बारे में कहता है कि मेरे को डिग्री से मिली है जो कतई गलत है। इसलिए अपील काबिले खारिजी है।

अतः लिखित बहस पेश करके अर्ज है कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर मानते हुए व मैरिट पर कोई आधार न मानते हुए मय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट के पिता मोहनलाल पुत्र हरिराम के नाम से वाके चक 20 एसडीएस तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 11–12–19–20 तथा मुरब्बा नम्बर 50–57 की 0.12 कुल 3.18 बीघा कृषि भूमि क्रयशुदा थी चूंकि पिता मोहनलाल अपीलार्थी के साथ जीवनपर्यन्त निवास करता था इसलिये सेवाभाव से प्रश्नचित होकर एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 19.08.2004 को निष्पादित करवाया था। चूंकि वसीयताधीन भूमि के अलावा अपीलार्थी की कृषि भूमि का राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष विभाजन एवं घोषणात्मक का निर्णित किया गया जिसके अनुसार अपीलार्थी के पिता मोहनलाल के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 7,8,13,18,19,22 व 23 की 7.01 बीघा कृषि भूमि प्राप्त हुई। शेष स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि 5.06 बीघा कुल 12.07 बीघा की कृषि भूमि अपीलार्थी के कब्जे

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

काश्त में है जो आज भी अपीलार्थी के शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के चली आ रही है। प्रार्थी के पिता मोहनलाल की दिनांक 07.02.2019 को मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिस वसीयतनामा के अनुसार अपीलार्थी/रेस्पोडेण्ट है। हल्का पटवारी द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 639 दिनांक 18.04.2022 को भरा गया जिस पर गिरदावर द्वारा बिना किसी कब्जे की जांच किये दिनांक 21.04.2022 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और बिना क्षेत्राधिकार के विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व नियमों के नियम 133 एवं 135 की कतई पालना नही की। नियमानुसार कृषि भूमि के आवंटन एवं आदेश के अलावा कृषि भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में मौके के कब्जा की जांच की जानी आज्ञापक है, रेस्पोडेण्ट के आवंटन प्रस्तुति उपरान्त किसी भी प्रकार की कोई निर्णायक जांच नही की। इसलिए कानून के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही किये जाने से अपीलाधीन आदेश निरस्ती योग्य है। चूंकि हल्का पटवारी द्वारा विवादित नामान्तरण 18.04.2022 को भरा गया था जो गिरदावार द्वारा दिनांक 21.04.2022 को सत्यापित किया गया। राज्य सरकार अधिसूचना दिनांक 04.09.1982 के अनुसार मूलत 45 दिवस तक सम्बंधित ग्राम पंचायत को नामान्तरण स्वीकृत/अस्वीकार करने का अधिकार क्षेत्र था लेकिन विचारण न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश इन्तकाल संख्या 639 दिनांक 26.04.2022 को निरस्त फरमाया जाकर वसीयतनुसार अंकन का निर्देश दिया जावे तो जनाब की मेहरबानी होगी।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट के पिता मोहनलाल पुत्र हरिराम के नाम से वाके चक 20 एसडीएस तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 11–12–19–20 तथा मुरब्बा नम्बर 50–57 की 0.12 कुल 3.18 बीघा कृषि भूमि क्रयशुदा थी चूंकि अपीलार्थी के पिता मोहनलाल अपीलार्थी के साथ जीवनपर्यन्त निवास करता था इसलिये सेवाभाव से प्रश्नचित होकर एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 19.08.2004 को अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित की गई, उक्त वसीयतनामा में अंकित भूमि के साथ–साथ अपीलांट एवं अपीलांट के पिता के नाम से अंकित भूमि का बंटवारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के प्रकरण संख्या 23/2003 अनवानी मोहनलाल वगैरा बनाम विजय कुमार वगैरा निर्णय दिनांक 17.08.2012 बाबत विभाजन धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किया गया जिसकी अन्तिम डिक्री दिनांक 06.09.2012 को जारी की गई जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पिता मोहन लाल को चक 20 एसडीएस के मु.न. 50 के किला नम्बर 7,8,9 की 0.759 हैक्टर व किला नम्बर 10 की 0.228 हैक्टर कुल 0.987 हैक्टर भूमि व अपीलांट संदीप कुमार को चक 20 एसडीएस के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 10 पश्चिम दिशा में 0.025 हैक्टर, किला नम्बर 11 ता 13, 18 ता 20 कुल 1.518 हैक्टर, किला नम्बर 21 में 0.164 हैक्टर , किला नम्बर 22/1 में 0.190 हैक्टर व किला नम्बर 23 में 0.240 हैक्टर कुल 2.137

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

हैक्टर रकबा का खातेदार घोषित किया गया। नायब तहसीलदार लालगढजाटान द्वारा जो वारिसनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज किया गया है वह अपीलांट के पिता मोहन लाल को उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा चक 20 एसडीएस के मु.न. 50 के किला नम्बर 7,8,9 की 0.759 हैक्टर व किला नम्बर 10 की 0.228 हैक्टर कुल 0.987 हैक्टर भूमि खातेदार घोषित किया गया है उक्त भूमि का समस्त वारिसान के नाम से अपीलांट के पिता मोहनलाल की मृत्यु के बाद इन्तकाल संख्या 639 दिनांक 26.04.2022 को स्वीकृत किया गया है ना कि अपीलांट के पिता मोहन लाल द्वारा की गई वसीयत में अंकित भूमि का इन्तकाल स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लालगढजाटान द्वारा वारिसानामा के आधार पर जो अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 639 दिनांक 26.04.2022 स्वीकृत किया गया है वह विधिसम्मत् है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। फलस्वरूप, अपील अपीलांट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावें।

आदेश आज दिनांक 19.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर